


कार्यालय हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुलाब देवी बनाम रामेश्वर सैनी अपील जीसीएमएस नं0 2023/270	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2025	<p>पत्रावली पेश हुई । वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलान्ट को आवाज लगवाई गई, उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। प्रकरण में पुनः रुक रुककर कई बार अधिवक्ता अपीलार्थी को आवाजें लगवाई गई किन्तु अपीलार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;"> (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर</p> <p style="text-align: center;"><small>संभागीय आयुक्त जयपुर</small></p>	